

पत्रांक-योजना बजट-309/2025-6057/प०व०ज०प०

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

पूनम कुमारी,
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना

पटना-15, दिनांक-21/11/2025

विषय :- वित्तीय वर्ष 2025-26 में सड़क एवं पुल योजनान्तर्गत वाल्मीकि व्याघ्र प्रमंडल-2 में आधारभूत संरचना के तहत कॉजवे निर्माण कार्य हेतु कुल ₹95.82 लाख (पंचानवे लाख बेरासी हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय की अनुमति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2025-26 में सड़क एवं पुल योजनान्तर्गत वाल्मीकि व्याघ्र प्रमंडल-2 में आधारभूत संरचना के तहत कॉजवे निर्माण कार्य हेतु कुल ₹95.82 लाख (पंचानवे लाख बेरासी हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय की अनुमति प्रदान की जाती है।

इस योजना का क्रियान्वयन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना के पत्रांक-965, दिनांक-18.11.2025 द्वारा सम्प्रेषित सारांशित कार्य योजना/प्राक्कलन जो परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न है, के अनुरूप किया जायेगा।

2. स्वीकृत राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष-4406-वानिकी तथा वन्यजीव पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-01-वानिकी, लघु शीर्ष-070-संचार तथा भवन, उप शीर्ष-0101-सड़क और पुल, मांग संख्या-19, विपत्र कोड-19-4406010700101, विषय शीर्ष-0101.53.01-मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध उपबंधित राशि के तहत की जायेगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह-उप निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष प्रमंडल-2 होंगे तथा राशि की निकासी उनके संबंध कोषागार से की जायेगी।

4. इस राशि का आवंटन, निकासी एवं व्यय बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्त नियमावली में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।


5. राशि के अग्रिम निकासी पर वित्त विभागीय पत्रांक-2221 दिनांक-15.04.2020 द्वारा शिथिलीकरण प्राप्त है, अतएव राशि के आवंटन के समय वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.1998 की कंडिका-15 को छोड़कर शेष कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

6. योजना की स्वीकृति को दर की स्वीकृति नहीं माना जाए। इस योजना की स्वीकृति प्राक्कलित दर के आधार पर दी जा रही है। संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार विधिवत् अनुमोदित दर के अनुरूप ही राशि का व्यय किया जायेगा।

7. सामग्री/सेवाओं की अधिप्राप्ति बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। सामग्री का क्रय एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति के संबंध में जहाँ नियमानुसार आवश्यक हो। GeM/ निविदा संबंधी नियमों का अनुपालन किया जाएगा।

8. इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
9. योजना क्रियान्वयन का नियमित पर्यवेक्षण प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण कराया जायेगा।
10. योजना के क्रियान्वयन में यदि किसी प्रकार की अनियमितता होती है, तो योजना को क्रियान्वित/निरीक्षण/पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करने वाले पदाधिकारियों की जवाबदेही होगी।
11. संचिका संख्या-309/2025 के पृष्ठ-02/टि० पर दिनांक-20.11.2025 को प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। दिनांक-21.11.2025 को सम्पन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव के स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। पृष्ठ-03/टि० पर दिनांक-21.11.2025 को प्रधान सचिव की स्वीकृति एवं पृष्ठ-04/टि० पर दिनांक-21.11.2025 को प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
अनुलग्नक - यथोक्त।


विश्वासभाजन


(पूनम कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापक-योजना बजट-309/2025-6057/प०व०ज०प०, पटना-15, दिनांक-21/11/2025


प्रतिलिपि:- (सानुलग्नक) वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना/संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक एवं वन संरक्षक/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/बजट शाखा (दो प्रतियों में)/आई०टी० (मैनेजर), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(पूनम कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापक-योजना बजट-309/2025-6057/प०व०ज०प०, पटना-15, दिनांक-21/11/2025

प्रतिलिपि :- (सानुलग्नक) संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(पूनम कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव

कार्यालय : वन प्रगण्डल पदाधिकारी --सह-- उप निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य, प्रगण्डल-02, बेतिया, पश्चिम चम्पारण

वित्तीय वर्ष 2025-26 में सड़क और पुल आधारभूत संरचना, (राज्य योजना) मद अन्तर्गत (Causeway) निर्माण का प्रस्ताव कार्य।

Sl.No.	Item Of Work	Name of Range/Work Location	Physical Target (Hac. Mtr. No.)	Unit rate Per Month/per unit rate	Demand in (Rs) Lac.	Justification/work GPS Location	Remarks
1	Construction of Causeway	Harnatand	1	1573232	1573232	Estimate Attached Comp. No. N-3, GPS- N-27°25'5", E-84°4'28"	Annexure-01
2	Construction of Causeway	Harnatand	1	2202269	2202269	Estimate Attached Comp. No. N-5, GPS- N-27°25'50", E-84°2'9"	Annexure-02
3	Construction of Causeway	Valmikinagar	1	768064	768064	Estimate Attached Comp. No. T-1 (Kalapani), GPS- N-27°26'24", E-83°56'27"	Annexure-03
4	Construction of Causeway	Valmikinagar	1	624014	624014	Estimate Attached Comp. No. T-34 (Devisota), GPS- N-27°23'24", E-83°56'34"	Annexure-04
5	Construction of Causeway	Valmikinagar	1	576207	576207	Estimate Attached Comp. No. T-34 (Bhufaiya Sota), GPS- N-27°23'57", E-83°56'15"	Annexure-05
6	Construction of Causeway	Madanpur	1	959920	959920	Estimate Attached Comp. No. M-02, GPS- N-27°11'11", E-84°0'12"	Annexure-06
7	Construction of Causeway	Madanpur	1	671821	671821	Estimate Attached Comp. No. M-02, Mahadeva Ghotla GPS- N-27°11'24", E-83°59'50"	Annexure-07
8	Construction of Causeway	Madanpur	1	624014	624014	Estimate Attached Comp. No. M-05, GPS- N-27°11'51", E-83°59'32"	Annexure-08
9	Construction of Causeway	Madanpur	1	1582982	1582982	Estimate Attached Comp. No. M-17, GPS- N-27°17'27", E-83°56'4"	Annexure-09
GRAND TOTAL					9582523		

Technical Sanction for

Rs. 9582523 (Ninety five lakh eighty two thousand five hundred twenty three only)

Submitted by

Rs. 9582523 (Ninety five lakh eighty two thousand five hundred twenty three only)

U. Nandy
Conservator of Forest-cum Field Director
Valmiki Tiger Reserve, Bettiah.

24/11/25

C. J. Singh
D F O. cum Dy. Director,

Valmiki Tiger Reserve, Div-2, Bettiah

1 of 1

(10)